

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>6-6-23</p>	<p>हुकम पत्रावली / डि.सी 50/2008</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 25.7.23 को पेश हो।</p>	
<p>25.8.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.9.23 को पेश हो</p>	
<p>12.09.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7.12.23 को पेश हो।</p>	<p>LC पत्रावली 66/2006 संलग्न</p>
<p>7.12.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.2.24 को पेश हो।</p>	
<p>7.12.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.2.24 को पेश हो।</p>	
<p>28/2/24</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13/5/24 को पेश हो।</p>	
<p>13.5.24</p>	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हस्ताक्षर दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौरन शुद्ध होकर न्याय से कम होकर सही तरीके तामील दाखिल दफतर हो।</p> <p>श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दान)</p>	